न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 560/2017

अपीलाण्ट

1. मांगीलाल पुत्र गुणेशराम
2. हापुराम पुत्र चैनाराम
3. हरदेव पुत्र कोजाराम
4. ओमाराम पुत्र कोजाराम
5. श्रीराम पुत्र राणाराम
6. पाबुराम पुत्र राणाराम
7. राजुराम पुत्र राणाराम
(सभी जाति विश्नोई, निवासी फींच तहसील लूणी, जिला जोधपुर)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर
2. मांगीलाल पुत्र गुणेशाराम मेघवाल
3. गवंरीदेवी पत्नी स्व0 घेवरराम मेघवाल
4. नरपतराम पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल
5. चेतनराम पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल
6. कैलाश पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल
7. सुरेश पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल
8. मंजु पुत्री स्व0 घेवरराम मेघवाल
9. सुशीला पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल
10. सुखली पुत्री स्व0 गुणेशाराम मेघवाल
11. मोरकी पुत्री स्व0 गुणेशाराम मेघवाल
12. सुखाराम पुत्र स्व0 चैनाराम मेघवाल
13. छगनी पुत्री स्व0 चैनाराम मेघवाल
14. लिखमी पुत्री स्व0 चैनाराम मेघवाल

(सभी निवासी ग्राम फींच, तह0 लूणी, जिला जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर दिनांक 22.01.2014 राजस्व प्रथम अपील संख्या 76/2012 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम राज0 सरकार वगैरा विरूद्ध ना0क0सं0 362

उपस्थित–

1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1
3. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 550/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मांगीलाल पुत्र गुणेशराम 2. हापुराम पुत्र चैनाराम 3. हरदेव पुत्र कोजाराम 4. ओमाराम पुत्र कोजाराम 5. श्रीराम पुत्र राणाराम 6. पाबुराम पुत्र राणाराम 7. राजुराम पुत्र राणाराम (सभी जाति विश्नोई, निवासी फींच तहसील लूणी, जिला जोधपुर)		1. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर 2. मांगीलाल पुत्र गुणेशाराम मेघवाल 3. गवंरीदेवी पत्नी स्व0 घेवरराम मेघवाल 4. नरपतराम पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल 5. चेतनराम पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल 6. कैलाश पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल 7. सुरेश पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल 8. मंजु पुत्री स्व0 घेवरराम मेघवाल 9. सुशीला पुत्र स्व0 घेवरराम मेघवाल 10. सुखली पुत्री स्व0 गुणेशाराम मेघवाल 11. मोरकी पुत्री स्व0 गुणेशाराम मेघवाल 12. सुखाराम पुत्र स्व0 चैनाराम मेघवाल 13. छगनी पुत्री स्व0 चैनाराम मेघवाल 14. लिखमी पुत्री स्व0 चैनाराम मेघवाल (सभी निवासी ग्राम फींच, तह0 लूणी, जिला जोधपुर)

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर दिनांक 22.01.2014 राजस्व प्रथम अपील संख्या 77/2012 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम राज0 सरकार वगैरा विरूद्ध ना0क0सं0 966 दिनांक 15.01.2008

उपस्थित–
1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1
3. शेष रेस्पो0 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 01.08.2024

उपरोक्त दोनो अपील प्रकरणों के पक्षकार एवं तथ्य एक समान होने से दोनों ही अपीलें एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उपरोक्त अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रथम

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील संख्या कमंशः 76/2012 एवं 77/2012 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम राज0 सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 22.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील लूणी स्थित ग्राम फीच के खसरा नं0 787 रकबा 46.02 बीघा किस्म बारानी दोयम गुणेशराम व चेनाराम पि0 वीडदाराम मेघवाल सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज थी। जो गुणेशाराम के फौत होने पर उनके उत्तराधिकारी–मांगीलाल, घेवरलाल, गजरी, सूखली, मोरकी, गवंरी, पि0 गुणेशराम मेघवाल के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 362 तहसीलदार जोधपुर द्वारा दर्ज की गई। तत्पश्चात खातेदार घेवरराम का फौतेदगी नामान्तरकरण सं0 966 गंवरी पत्नी घेवरराम, नरपतराम, चेतनराम, कैलाश, सुरेश व मंजू, सुशीला पुत्र /पुत्री घेवराराम के नाम तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 15.01.2008 को पारित किया गया। उक्त स्वीकृत ना0क0 362 व 966 के विरूद्ध अपीलांट्स ने अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के समक्ष कमशः राजस्व प्रथम अपील सं0 76/2012 एवं 77/2012 प्रस्तुत की गई। उक्त दोनो अपीलें संयुक्त आदेश दिनांक 22.01.2014 द्वारा फौतेदगी ना0क0 त्रृटी रहित होने से खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष क्रमशः प्रस्तुत की गई है।

रेस्पो0 बावजूद नोटिस तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से बहस एकतरफा सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों एवं लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया ग्राम फींच के खसरा नं0 787 रकबा 46.02 बीघा भूमि अपीलार्थी सं0 1 के पिता तथा अपीलार्थी सं0 2 से 7 के दादा गुणेशराम व चेनाराम पि0 गिरधारीराम विश्नोई की जागीर समय से खातेदारी में चली आ रही है। खतौनी बंदोवस्त गुणेश, चेना पिसरान गिरधारी जाति विश्नोई के नाम सेटलमेंट से जारी की गई है तथा खतौनी बंदोबस्त से लेकर खतौनी संवत् 2033 से 2036 तक इनके नाम से बनी। तत्पश्चात आगे की खतौनी संत् 2037 से 2040 में संधारण करते समय खातेदार का नाम गुणेशराम, चैनाराम पुत्र गिरधारीराम जाति विश्नोई के स्थान पर गुणेशराम, चैनाराम पुत्र बिड़दाराम जाति मेघवाल अकारण दर्ज कर दिया। जिसमें खातेदार के पिता का

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

नाम व जाति गलत अंकित कर दिया तथा गुणेशराम पुत्र बिड़दाराम को फौत बताकर उनके वारिसान के नाम से अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण सं0 362 वर्ष 1983 में तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर द्वारा बिना कोई रेकार्ड की जांच किये एवं भूमि के वास्तविक खातेदारान को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना ही दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात खातेदार घेवरराम के देहान्त हो जाने पर अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण सं0 966 प्रत्यर्थीगण के नाम तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 15.01.2008 को पारित किया गया। इनकी जानकारी होने पर अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक—पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई, जो बिना कोई न्याय संगत कारण दिये खारिज कर दी गई।

वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि इनकी जानकारी होने पर अपीलांट्स ने धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत रेकर्ड दुरूस्ती के लिए विद्वान उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष प्रार्थना पत्र सं0 54/2011 प्रस्तुत किया गया। जो निर्णय दिनांक 25.06.2012 को बाद जांच स्वीकार करते हुए उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड गुणेशा, चेना पिसरान गिरधारी जाति विश्नोई के नाम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया। उक्त दुरूस्ती के आदेश के बावजूद नामान्तकरण दर्ज करने वाले प्राधिकारी ना0क0 दर्ज नही कर रहे है, जबकि अपीलांट्स अपने नाम से ना0क0 दर्ज करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित रेकर्ड की गलती तथा उसके दुरूस्ती के आदेश की अनदेखी करके अपीलांट्स की प्रथम अपीलें खारिज कर दी गई। उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण व बिना न्यायिक ध्यान दिये पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2014 एवं ना0क0सं0 362 व 966 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार लूणी को उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 54/2011 में पारित रेकर्ड दुरूस्ती का आदेश दिनांक 25.06.2012 के अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती कर मृतक खातेदार गुणेश व चेना पिसरान गिरधारी विश्नोई के वारिसान की जांच कर तद्नुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0सं0 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, इस मामले में उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2011 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2012 की ओर ध्यान आकर्षित कर, यह आग्रह किया कि उक्त आदेश में तहसीलदार लूणी को विवादग्रस्त आराजी के संपूर्ण राजस्व रेकर्ड की समयक रूप से जांच करने एवं जांचोपरांत नियमानुसार आवश्यक संशोधन राजस्व रेकर्ड में करने हेतु आदेशित किया हुआ है। इस स्थिति में अपीलांट को तहसीलदार लूणी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करना अपेक्षित है।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपीलों में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 362 व 966 को त्रुटी रहित मानते हुए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपीलें खारिज कर दी गई। जबकि अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट द्वारा सहा0 कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 54/2011 में पारित आदेश दिनांक 25.6.12 द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट स्वीकार कर तहसीलदार लूणी को वादग्रस्त आराजी के संपूर्ण राजस्व रेकर्ड की सम्यक रूप से जांच कर, जांचोपरांत आवश्यक संशोधन राजस्व रेकर्ड में करने हेतु आदेशित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की अनदेखी की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्ट (प्रथम) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रथम अपील सं0 क्रमशः 76/2012 एवं 77/2012 अनवान मांगीलाल व अन्य बनाम राज0 सरकार वगैरा में पारित संयुक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2014 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 54/2011 में पारित आदेश दिनांक 25.06.2012 के दृष्टिगत तहसीलदार लूणी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 01 अगस्त 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर